न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह।

आदेश की तिथि	विविध वाद सं0– 04/2023–24 CCL गिरिडीह बनाम वन प्रमंडल पदाधिकारी (पूर्वी वन प्रमंडल), गिरिडीह।	आदेश पर की गई कार्रवाई
13.09.2023	यह वाद सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड के द्वारा दिये गये ऑनलाईन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष(CCL) गिरिडीह के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है किः– 1. CCL कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषांगिक ईकाई है जो भारत सरकार (कोयला मंत्रालय) के अधीन कार्यरत है। 2. सेन्ट्रल कोल फील्डस लि0 एक मिनीरत्न कम्पनी है जिसके प्रोजेक्ट आफिसर का कार्यालय बनीयाडीह गिरिडीह में स्थित है। तथा यह कोल इंण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत आता है। 3. गिरिडीह अंचल अन्तर्गत खाता नं0–25, मौजा–धोबीडीह, थाना– गिरिडीह (मु0) अंचल– गिरिडीह, प्लॉट सं0– 288 खतियान के अनुसार रैयती खाते की जमीन है। जो बिट्टुलाल मांझी , पिता–थकु मांझी के नाम से खतियान में दर्ज है। इसी तरह खाता नं0–146 एवं खाता नं0–160, मौजा– करहरबारी, थाना–गिरिडीह (मु0) गैरमजुरआ खास खाते की जमीन है। जो तत्कालीन जमींदार के अधीन था, जिसमें से खाता नं0–160 अन्तर्गत प्लॉट नं0–3097, 3099,1420 थाना नं0–194 की जमीन को जमींदार द्वारा बन्दोबस्त किया गया । 4. सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा खाता नं0–25, प्लॉट नं0–288, मौजा–घोबीडीह अन्तर्गत 18 डी0 जमीन स्थानीय रैयतो से अधिग्रहण किया गया एवं मुआवजे के तौर पर रैयतो को प्रर्याप्त रकम देकर सेन्ट्रल कोल फील्डस द्वारा अधिग्रहित जमीन पर दखल किया जाने लगा। 5. CCL द्वारा खाता नं0–146 के प्लॉट नं0–3097 कुल रकवा– 5.54 ए0 में से 4.95 ए0 प्लॉट नं0–3099 के कुल रकवा–6.81 ए0 में से 6.40 ए0 एवं प्लॉट नं0–1420 के 31.18ए0 भूमि का अधिग्रहण सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड द्वारा रैयतो मथुरा माली, (प्लॉट सं0–3097), झब्बन दास(प्लॉट नं0–3099) एवं टुपलाल साव (प्लॉट नं0–1420) को पर्याप्त रकम देकर किया गया।	

6. रैयतो को पर्याप्त रकम देने के साथ-'साथ उनके कानूनी उत्तराधिकारीयों को नौकरी भी सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड द्वारा दिया गया।
7. राजस्व दस्तावेजो से यह प्रामाणित होता है कि सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड का मौजा-धोबीडीह के प्लॉट नं0 288 पर दखल था।
8. जमींदारी उन्मूलन के पश्चात तत्कालीन बिहार सरकार ने उलेखित जमीन कोलियरी हेतु सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड को दे दिया तथा लगान रसीद संबंधित रैयत के नाम से निर्गत होता रहा उसके पश्चात उलेखित जमीन बिना किसी विवाद अथवा बाधा के सेन्ट्रल कोल फिल्डस लिमिटेड के अधीन रहा।
9. वर्तमान में वन विभाग, गिरिडीह द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र से बाहर जाकर सेन्ट्रल कोल फील्डस के उल्लेखित CCL की भूमि को अपने नक्शे में दर्शाते हुए सेन्ट्रल कोल फील्डस के खनन कार्य पर रोक लगाने हेतु पत्र दिया गया है। जिसके कारण वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल (पूर्वी) गिरिडीह के उक्त पत्र के विरुद्ध यह आवेदन दिया गया है।
10. मौजा-धोबीडीह एवं करहरबारी स्थित उल्लेखित प्लॉटों पर नियमित खनन करने हेतु वन विभाग द्वारा प्रस्तावित नक्शे को खारीज किया जाना आवश्यक है।

प्रथम पक्ष द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।:-

1. NCDC एवं State Colleries के बीच समझोता पत्र 01.10.1956 की प्रति।
2. गिरिडीह Coal Mines का इतिहास एवं उसके विभिन्न चरण से संबंधित जानकारी।
3. DGMS , कोडरमा प्रक्षेत्र, कोडरमा का पत्रांक 3634 दिनांक 18.11.1976 की प्रति।
4. DGMS , दक्षिण - पूर्वी प्रक्षेत्र , राँची का पत्रांक 3262 दिनांक 13.07. 1976 की प्रति।
5. अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा 1990 में निर्गत सत्यापित खतियान की छाया प्रति।
6. अंचल कार्यालय, गिरिडीह के Record के अनुसार थाना नं0 194 के विभिन्न खाता एवं प्लॉट की प्रकृति की प्रति।
7. भूमि सुधार उप समाहर्ता (Record Room) में थाना नं0 194 से संबंधित विभिन्न खाता एवं प्लॉटो से संबंधित खतियान की जानकारी।

8. अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रति। (रैयती जमीन के डीड की प्रति)

9. पंजी 2 एवं लगान रसीद की प्रति।

10. खाता नं0-13/25/07/11/17/09/33/146/160/157/ से संबंधित खतियान की सत्यापित प्रति की छाया प्रति।

11. खाता सं0 -512, एवं अन्तर्गत प्लॉट सं0-1420 के नक्शा की प्रति।

12. वन प्रमंडल पदाधिकारी (पूर्वी वन प्रमंडल) के पत्रांक 821 दिनांक 16.08. 2022प्रति।

13. स्थल जांच से सम्बंधित फोटो संलग्न है।

विपक्षी वन प्रमंडल पदाधिकारी , (पूर्वी वन प्रमंडल गिरिडीह) ने अपने लिखित जवाब में तर्क दिया है कि-

1. मौजा-धोबीडीह, थाना-गिरिडीह ,थाना नं0-193, प्लॉट नं0-288 राज्य सरकार की अधिसूचना सं0-C/F/7023/55-2653R दिनांक 31.08.1955 द्वारा अधिसूचित वन भूमि है।
2. मौजा-करहरबारी, थाना-गिरिडीह, थाना नं0-194, प्लॉट नं0-1404, रकवा-1.60 ए0 प्लॉट नं0-1405, रकवा-0.02 ए0 , प्लॉट नं0-1406, रकवा-21.70 ए0, प्लॉट नं0-3096 रकवा-2.20 ए0 प्लॉट नं0-3102, रकवा-1.30 ए0 प्रमंडल में उपलब्ध नक्शा के अनुसार Land Accquisation के तहत भूमि अधिग्रहित की गई है, जो सीमांकित वन भूमि है।
3. प्लॉट नं0-1420, रकवा- 137.23 ए0, प्लॉट नं0-3080, रकवा- 1.10 ए0, प्लॉट नं0-3097 रकवा-26.15 ए0 , प्लॉट नं0-3099, रकवा-5.20 ए0, प्लॉट नं0- 3100 , रकवा- 1.68 ए0 प्रमंडलीय नक्शा के अनुसार सीमांकित वन भूमि है।
4. सिविल रीट याचिका सं0- 202/95 में दिनांक 12.12.1996 को माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारीत आदेश के अनुसार निजी/ सरकारी अभिलेख में जंगल दर्ज भूमि पर गैर वानिकी कार्य भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रतिबंधित है।

अतः उपरोक्त तथय के आलोक में सी0सी0एल0 द्वारा किये गये दावे को निरस्त करते हुए विषयक वाद को स्वीकार नही किया जाय। विपक्ष द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्न दस्तावेज समर्पित किये गये है-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना सं0- 2653 R दिनांक 31.08.1955 की प्रति।

(2) प्लॉट नं0- 1404/ 1405/ 1406/ 3096/ 1102/ 3080/ 3097/ 3099/ 3100/ से संबंधित प्रमंडलीय नक्शा (वन प्रमंडल पदाधिकारी (पूर्वी वन प्रमंडल) गिरिडीह द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।)

निष्कर्ष

उभय पक्षों के लिखित तर्को, उपलब्ध दस्तावेजों एवं दिनांक 25.06.2023 को वादगत स्थल के स्थल निरीक्षण के आधार पर मै पाता हूँ कि वादगत मौजा-घोबीडीह एवं करहरबारी के खाता नं0-25,146 एवं 160 अन्तर्गत प्लॉट नं0-1403/1404/1405/1420/3096/3097/3100 / खतियान के आधार पर रैयती अथवा परती कदीम है। सिर्फ प्लॉट नं0-1406 ही खतियान में जंगल दर्ज है।

स्थल निरीक्षण से यह भी स्पष्ट होता है कि वादगत जमीन पर काफी लम्बे समय से खनन के कारण वहाँ अत्यधिक गहराई में विशाल तलाब (डैम) बना हुआ है, जिसके चारो और कोयला पत्थर की दीवाल स्थित है, जो प्रमाणित करता है कि उक्त स्थल पर कोयला का खनन कार्य लम्बे समय से होता आ रहा है। जबकि वन विभाग द्वारा उक्त स्थल अथवा उसके आस-पास वनरोपन किये जाने अथवा वन क्षेत्र होने का कोई प्रमाण नही है।

संलग्न खतियान से भी स्पष्ट होता है कि कई प्लॉट रैयती है जिसके अधिग्रहण का दावा सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड द्वारा किया गया है। एवं मुआवजा के तौर पर कई विस्थापितों को सेन्ट्रल कोल फील्डस लिमिटेड में नौकरी भी दी गई है। वादी द्वारा भारत सरकार एवं नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के बीच समझोता पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। एवं इनके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह कोलियरी 1857 से चल रहा है एवं 1896 से 1936 तक यह कोलियरी इस्ट इण्डिया रेलवे द्वारा चलाया गया। तथा 1936 से 1956 तक इसे स्टेट कोलियरी द्वारा चलाया गया। 1956 में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर स्टेट कोलियरी को NCDC लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। करहरबारी स्थित गिरिडीह कोलियरी को Perpetual Lease एवं Surface Right एवं Mining Right भी दिया गया है। अतः उक्त प्लॉटों पर वन विभाग ने अपना Demarcation कैसे और कब किया स्पष्ट नही किया गया है। Mines Act 1952

के अनुसार प्रत्येक Mines भारत सरकार की संस्था DGMS जो Labour Ministry के अन्तर्गत आता है तथा उसकी देखरेख में Mines संचालित होता है। DGMS के पत्रांक SEZ(Coal)3262 दिनांक 13 जुलाई 1976 एवं पत्रांक KR/P-3634/Koderma Region दिनांक 18.11.1976 द्वारा घोबीडीह एवं करहरबारी मौजा में खनन कार्य की अनुमति दी गई है। एवं उक्त के आलोक में वहाँ लगातार खनन कार्य किया जा रहा है तथा सरकार को रौयल्टी भी दिया जाता रहा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी (पूर्व वन प्रमंडल) द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज के आधार पर मात्र प्लॉट नं0-288,247 एवं 248 ही वन भूमि के अन्तर्गत आता है एवं प्लॉट नं0-1406 सर्वे खतियान के अनुसार जंगल दर्ज है। शेष प्लॉटों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वि वन प्रमंडल, गिरिडीह द्वारा प्रमंडलीय नक्शे के आधार पर अन्य प्लॉटो पर भी वन विभाग के प्लान में सीमांकित वन भूमि के अन्तर्गत आने का दावा किया जा रहा है किन्तु इस संबंध में कोई विभागीय पत्र अथवा सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। उभय पक्षों द्वारा दिये गये लिखित तर्को एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट नं0-1406,288,247 एवं 248 को छोडकर Central Coal Fields Limited द्वारा खनन हेतु दावा किये गये अन्य प्लॉटों पर खनन कार्य से रोकने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी का कार्यालय, पूर्वि वन प्रमंडल गिरिडीह द्वारा दिये गये पत्रांक 821 दिनांक 16.08.2022 आधारहीन एवं त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वि वन प्रमंडल, गिरिडीह के पत्रांक 821 दिनांक 16.08.2022 में उल्लेखित प्लॉट नं0- 288,247,248 एवं 1406 को छोडकर शेष प्लॉटों की जमीन में Central Coal Fields Limited का दखल - कब्जा है तथा राजस्वहित में खनन की अनुमति दी जा सकती है, एवं उक्त प्लॉटो पर खनन कार्य रोकने से संबंधित वन प्रमंडल, पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह के पत्रांक 821 दिनांक 16.08.2022 को अस्वीकृत किया जा सकता है।

उक्त निष्कर्ष एवं अनुशंसा के साथ अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता / उपायुक्त गिरिडीह को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Satya Prakash
Date: 2023.09.29 12:29:16 +05:30
Location: 192.168.223.49

13/9/2023

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गिरिडीह।

13/9/2023

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
गिरिडीह।